हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना।
4. नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।
5. नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना।
6. अपील।
7. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य।
8. शास्ति।
9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
10. अधिकारिता का वर्जन।
11. नियम बनाने की शक्ति।
12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

————————

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 34)[1]

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2011 को अधिप्रमाणित किया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 सितम्बर, 2011 को हिन्दी और अंग्रेजी में पृष्ठ संख्या 3245 से 3253 पर प्रकाशित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों के लिए नियत समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावित,–

(i) 2019[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 13 नवम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19 नवम्बर, 2019 को पृष्ठ संख्या 8039 से 8041 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 25 अगस्त, 2011 पृष्ठ संख्या 2461 और 2465 देखें।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 31 अगस्त, 2019 पृष्ठ संख्या 5393 से 5395 देखें।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

[1]{(3) यह 24 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।}

2. **परिभाषाएं.**– इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''पदाभिहित अधिकारी'' से धारा 3 के अधीन सवेाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''पात्र व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र है;

(ग) ''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदश अभिप्रते है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) ''सेवा का अधिकार'' से धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) ''सेवा'' या ''लोक सेवा'' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(झ) ''द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी'' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ञ) ''राज्य सरकार ''से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ट) ''नियत समय सीमा'' से धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने या अपीलीय प्राधिकारिओं द्वारा अपील का विनिश्चय करने की अधिकतम समय सीमा अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य सूचना आयोग'' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

————————

1. 2019 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा उप–धारा (3) प्रतिस्थापित की गई।

3. **राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना.**— राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय–समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेगी।

4. **नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.**— पदाभिहित अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करवाएगा।

5. **नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना.**— (1) नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होगी और ऐसा आवेदन उस द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर पदाभिहित अधिकारी, नियतसमय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा और आवेदन को अस्वीकार करने की दशा में कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से संसूचित करेगा,—

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण;

(ii) अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियां।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

6. **अपील.**—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जिसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यथास्थिति, आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन अपील का, यथास्थिति, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो इसके दाखिल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन की कुल अवधि से अधिक न हो, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निपटारा किया जाएगा।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को द्वितीय अपील दायर कर सकेगा।

7. **द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य.**—(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विनिश्चिय के विरूद्व द्वितीय अपील विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर पदाभिहित द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को की जा सकेगीः

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जैसी वह विनिर्दिष्ट कर सकेगा, के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगाः

परन्तु सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश के अतिरिक्त, वह धारा 8 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करते समय वही शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(4) किसी भी अपील की कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध का प्रत्याख्यान न्यायोचित था उस पदाभिहित अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन का प्रत्याख्यान किया है या नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है।

8. **शास्ति.**—(1) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है या उसने पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने में विलम्ब किया है, तो वह एक मुश्त शास्ति, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस के विरूद्ध शास्ति का कोई आदश पारित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति से अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम देने का आदेश कर सकेगा, परन्तु ऐसे प्रतिकर की रकम अधिरोपित शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगीः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी पर सेवा को उपलब्ध करवाने में किए गए विलम्ब के लिए या सेवा उपलब्ध करवाने से इन्कार करने के लिए इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा वैयक्तिक हैसियत में वहन की जाएगी न कि राज्य सरकार के कृत्यकारी के रूप में, जब तक कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अन्यथा निदश न देः

परन्तु यह और कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को सुनने के पश्चात् शास्ति की रकम को पदाभिहित अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) जो सेवा को उपलब्ध करवाने में ऐसे इन्कार या विलम्ब में सहभागी पाए जाते हैं, के बीच प्रभाजित कर सकेगा।

9. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**— इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

10. **अधिकारिता का वर्जन.**—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

11. **नियम बनाने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.**— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा विधिमान्यकरण धारा जोडी गई।

3. **विधिमान्यकरण.**—किसी विधि या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात् की गई समस्त बातें या कार्रवाईयां, अधिसूचनाओं और नियमों आदि का सभी प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया समझा जाएगा और सदैव विधिमान्य रूप से इस प्रकार किया गया या पारित किया गया समझा जाएगा, मानो मूल अधिनियम 24 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त था और इसे मूल अधिनियम के प्रारम्भ किए जाने में किसी त्रुटि के आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकरण, आयोग या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।